

न्यायालय तहसीलदार(राजस्व) छतरगढ़ जिला बीकानेर

मु.नं. 10/2021

निर्णय दिनांक 01.03.2021

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का भानसर तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर।

(प्रार्थी)

बनाम

जीयाराम पुत्र गणेशाराम कौम जाट साकिन चक 4 डी.ओ (बी) भानसर तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर

अप्रार्थी)

अन्तर्गत राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22

-निर्णय-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि भू.अ.निरीक्षक खारवारा व पटवारी हल्का भानसर ने रिपोर्ट मय प्रपत्र पी.14 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी ने चक 4 डी.ओ.(बी) मु.नं. 207/58 के कि.नं. 19 = 0.10, 22 = 0.10 कुल 1.00 बीघा कमाण्ड अराजीराज भूमि पर चना की फसल एवं कि.नं. 19 = 0.10, 20 ता 21 = 2.00, 22 = 0.10 कुल 3.00 बीघा कमाण्ड अराजीराज भूमि पर सरसो की फसल कुल तादादी 4.00 बीघा कमाण्ड अराजीराज भूमि पर कृषि सम्बन्ध 2077 फसल रबी में अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर चना, सरसो की फसल काशत कर ली है।

रिपोर्ट प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को अपना पक्ष/जवाब प्रस्तुत करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ, जो शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी नोटिस तामिल के बावजूद अनुपस्थित, अप्रार्थी के विरुद्ध ईकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के प्रावधानों के तहत कोई व्यक्ति उपनिवेशन क्षेत्र में बिना किसी विधिक अधिकार के किसी भूमि पर काबिज होने अथवा लगातार काबिज रहने की स्थिति में अतिक्रमी माना जावेगा तथा उसे इस धारा के प्रावधानों के तहत तहसीलदार द्वारा बेदखल किया जावेगा। ऐसा अतिक्रमी 50 गुना लगान की शास्ति तक दण्ड का भागी व पश्चातवर्ती अतिक्रमण की दशा में 3 माह के सिविल कारावास का भागी होगा।

अतः प्रकरण में अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है। अप्रार्थी के विरुद्ध राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाकर भू-राजस्व का 50 गुना 360/-अक्षरे तीन सौ साठ रुपये शास्ति आरोपित कर बेदखली के आदेश पारित किये जाते हैं। कि मौके पर खड़ी फसल को कुर्क कर, कुर्कशुदा फसल को निलाम कर निलामी की कार्यवाही कर अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करें। बाद अनुमोदन निलामी राशि राजकोष में जमा करावे।

तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी व पटवारी हल्का को वसूली एवं मौके से बेदखली/कब्जा भूमि बहक सरकार लेने बाबत बाबत लिखा जावे। पत्रावली फैसल शूमार होकर-नम्बर से कम कर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 01.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुलदीप सिंह)
तहसीलदार एवं कार्यपालक दण्डनायक
छतरगढ़ (बीकानेर)

तहसीलदार एवं कार्यपालक दण्डनायक
छतरगढ़ (बीकानेर)

